न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

ना0 अपील सं0 29/2017

1. श्रीमती छोटा देवी पुत्री गोरधन पत्नि प्रभूदयाल जाति माली निवासी बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा
2. श्रीमती पूनी देवी पुत्री गोरधन पत्नि भोलाराम जाति माली निवासी बडियाल ढाणी टोड्या तहसील बसवा जिला दौसा ..अपी0

बनाम

1. श्रीमति काली देवी पत्नि कंचन जाति माली निवासी खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. राज0 मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खवारावजी तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा द्वारा शाखा प्रबंधक ..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण आदेश दिनांक 12.10.2015 नामा0 सं0 1434 ग्राम खवारावजी तहसील, नांगल राजावतान जिला दौसा
अ0धा0 75 रा0 भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थिति–1. श्री बृजमोहन गौड, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष

निर्णय दिनांक:09.10.17

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नांगल राजावतान ने दिनांक 12.10.2015 को नामान्तरकरण सं0 1434 तस्दीक कर दिया गया था। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि आराजी खसरा नंबर 2226, 2230/488, 2232, 2234, 4551, 2235, 2237, 2245, 2248/4438, 2252, 2255, 2261, 2262, 2268, 2271 व 2275 कुल किता 15 कुल रकबा 4.95 है0 वाके ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान मे स्थित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जिसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमियों का नामान्तरकरण अपीलांट्स के भाईयो कन्हैया, एवं मंगला पिसरान गोरधन के नाम अंकित हो गया जबकि अपीलांट्स का उक्त भूमियों में हिस्सा 1/2 है0 क्योंकि अपीलांट्स स्व0 गोरधन की पुत्रीगण उत्तराधिकारीगण है, अंकित नामान्तरकरण में से हिस्सा 1/2 भू भाग का विक्रय पत्र प्रत्यर्थी संख्या एक के परिवारजन ने धोखाधडी पूर्वक कन्हैया से प्रत्यर्थी संख्या एक के नाम दिनांक 16.09.2015 को उपपंजीकृत कार्यालय नांगल राजावतान में पंजीकृत करवा लिया जिसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या एक के नाम दिनांक 21.09.2015 को नामान्तरकरण तस्दीक फरमा दिया गया, मु0 काली के नाम प्रमाणित नामान्तरकरण आदेश के विरूद्व अपील न्यायालय उपजिला कलेक्टर नांगल राजावतान में प्रस्तुत की जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश पर आराजी अंकित नामान्तरकरण की यथावत स्थिति रिकार्ड एवं मौके की कायम रखने हेतु पक्षकारगण को पाबंद फरमा दिया गया, न्यायालय उपजिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में प्रस्तुत की जिसे न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.10.2016 ई0 द्वारा स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त फरमा दिया। अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध

निगरानी याचिका संख्या 7408/16 माननीय राजस्व मंडल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की जिसे न्यायालय ने दिनांक 11.11.2016 को स्वीकार कर अपील न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.10.2016 को प्रथम सुनवाई के स्तर पर ही निरस्त फरमा दिया, दृष्टिबंधक कर ऋण प्राप्त कर लिया जिसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या दो के नाम तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 12.10.2015 तस्दीक फरमाया है, अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित फरमाने से पूर्व अपीलांट ने प्रत्यर्थी संख्या एक के नाम प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या 1029 के विरूद्ध अपील न्यायालय उपजिला कलेक्टर नांगल राजावतान का आराजी मुन्दर्जे के संबंध में विवाद की जानकारी थी। उक्त आदेश को प्रत्यर्थी संख्या एक ने न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी के यहां चुनौती देकर दिनांक 22.06.2016 ई0 के आदेश को निरस्त करवाया एवं अपीलांट ने अपील न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.10.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कर अपील न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2016 को माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 11.11.2016 द्वारा निरस्त फरमाया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी सं0 एक के नाम विवादित नामान्तरकरण की अपील में यथावत स्थिति रिकॉर्ड की कायम रखने के आदेश के बावजूद प्रत्यर्थी सं0 2 के पक्ष में प्रत्यथी सं0 एक द्वारा दृष्टि बंधक किया जाना व तदनुसार भरा गया नामान्तरकरण आदेश खण्डनीय है। प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा अपीलांट के भाई कन्हैयालाल द्वारा अपने पक्ष में करवाया गया विक्रय पत्र अवैध एवं अप्रभावी है क्योकि उक्त भूमि में अपीलांटस के हक अधिकार निहित है अतः प्रत्यर्थी संख्या दो के पक्ष में रहन कर ऋण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नही था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 12.10.15 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट की इक तरफा बहस सुनी गई। रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थित में प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होने से पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वाके ग्राम खवारावजी तहसील नॉगल राजावतान में अपीलांट्स व रेस्पो0 की खातेदारी भूमि स्थित है। पक्षकारान में प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1434 दिनांक 12.10.2015 के संबंध में विवाद है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाट्स द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में ऐसे कोई भी दस्तावेजात पेश नहीं किये गये जिससे उनके कथन पर गौर किया जाता। मामला अलग–अलग न्यायालय में विचाराधीन रहा है व साथ ही वर्तमान में विवादित नामान्तरकरण की अपील में यथावत स्थिति रिकॉर्ड की कायम रखने के आदेश भी अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील मीमों एवं वरवक्त बहस बताया गया है। किंतु बिना किसी साक्ष्य के इस अपील में किसी भी स्तर पर पहुँचा जाना विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत प्रतीत होता हैं । अपीलांट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसे कोई प्रमाण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये। इसलिए प्रकरण पर कोई कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट्स खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 09 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा